

साहेबगंज समाहरणालय
जिला भू-अर्जन शाखा, साहेबगंज
अधिघोषणा
(अधिनियम-30/2013 की धारा-19(1) के अधीन)

संख्या-डी0एल0ए0 साहेबगंज 127 / 18-19 / / भू0अ0, दिनांक-

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता, साहेबगंज को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना **WORLD BANK ASSISTED NGRBA PROJECT** निर्माण हेतु ग्राम-मदनसाही टपुआ, थाना-साहेबगंज थाना सं0- , अंचल-साहेबगंज, जिला-साहेबगंज में कुल-0.0981 एकड़ भूमि अपेक्षित है। इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खण्ड है, जो मानक माप से कमोवेश 0.0981 एकड़ यानिX..... हेक्टेयर है, जिसका विवरणी निम्नलिखित है :-


क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	35	302	रैयती	कृषि	0.0138	शेख रहिम बख्स वल्द शेख अली बख्स (स्वत्व का मामला)	सड़क	पूर्व में SPS की अधिग्रहि त जमीन	दाग नं0-3 02 एवं 313	दाग नं0- 302 एवं 313
2	35	313	रैयती	कृषि	0.0843	शेख रहिम बख्स वल्द शेख अली बख्स (स्वत्व का मामला)				
कुल रकवा-					0.0981					

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं0-30/2013 की धारा-15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात् किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :-

ग्राम-.....X....., थाना-..... X, थाना सं0-..... X, अंचल-..... X, जिला-.....X.....
 .., क्षेत्रफल-.....X..... एकड़ यानिX..... हे0 जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार नीचे दिये गये हैं :-

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम अन्तर्गत रैयतों को उचित प्रतिकर यथा परिवहन भत्ता, पुनर्व्यवस्थापन भत्ता, जीवनयापन भत्ता यथा योग्य रूप से किया जायेगा।


 उपायुक्त,
 साहेबगंज।